न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/96

देवीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति नाई निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नेनालाल आत्मज कालू लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी.सी. मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 17.08.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 145/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी. एक्ट पेश किया गया कि वादी के स्वामित्व व खाते की आराजी खाता सं. 89 खसरा संख्या 599 रकबा 0.87 हेक्टर किस्म चाही तृतीय वाके ग्राम हथोना तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राज0 में स्थित है। उक्त आराजी पर वादी अपीलांट ने स्टेट बैंक ऑफ बाकीनेर एण्ड जयपुर शाखा मोडक हाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। उक्त आराजी पर वादी अपीलांट का एक कुंआ स्थित है जिसको वादी ने स्वयं अपने खर्चे से निर्मित किया है तथा उक्त आराजी उक्त कुएं से ही सिचित होती है। वादी को अपनी पारिवारिक कारणो से रूपये की आवश्यकता होने से वादी ने उक्त अपने खाते की आराजी खसरा सं. 599 रकबा 0.87 हैक्टर में से 3 बीघा 10 बिस्वा जो लगभग 0.50 हैक्टर होती है को 7,00,000/– रूपये में प्रतिवादी से बेचान सौदा किया तथा दिनांक 19.05.2017 को प्रतिवादी से विकय राशि 7,00,000/–रुपये प्राप्त कर एक इकरार नामा बाबत बेचान तहरीर करवाया तथा उक्त बेचान शुदा आराजी रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी को संभला दी, उक्त बेचान इकरार नामा में उक्त कय की गई आराजी का विधिवत पंजीयन एक वर्ष अर्थात दिनांक 19.05.

2018 तक प्रतिवादी को कराना तय हुआ था, इकरार नामा बेचान में यह भी शर्त अंकित की गई थी कि उक्त आराजी पर स्थित कुंआ पर मालिकाना अधिकार वादी का रहेगा अर्थात् वादी ने प्रतिवादी को कुंआ का बेचान नहीं किया। लेकिन प्रतिवादी को उक्त कुए से बेचानशुदा आराजी को सिंचित करने का अधिकार दिया था जिसकी विद्युत उपभोग एवं अन्य खर्चो का समय समय पर प्रतिवादी द्वारा वादी को अदा करना तय हुआ था। कुऐ पर विद्युत कनेक्शन वादी के नाम पर है तथा कुंआ वादी के मालिकाना अधिकार में है। उक्त विवादित आराजी के बेचान की शर्तों के मुताबिक प्रतिवादी को उक्त आराजी के बेचान का विधिवत एक वर्ष की अवधि में विक्रय पत्र तहरीर कर उचित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर उप पंजीयक अधिकारी रामगंजमंडी के समक्ष पंजीयन प्रक्रिया के अन्तर्गत विकय पत्र का विधिवत पंजीयन करवाना आवश्यक था, लेकिन प्रतिवादी द्वारा इकरार नामा बेचान में अंकित निहित अवधि तक उक्त खरीद शुदा आराजी का विक्रय पत्र का पंजीयन नही करवाया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी को विकय आराजी पर दिनांक 19.05.2018 के तक के लिये अनुमेय कब्जा (परमिशिव पजेशन) दिया गया था, जिसकी अनुमति अवधि दिनांक 19. 05.2018 तक थी। लेकिन प्रतिवादी ने उक्त आराजी के बेचान का इकरार नामा की शर्त के मुताबिक पालना नहीं की तथा 04 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी बेचान का विकय पत्र विधिवत पंजीयन नहीं करवाया, इस प्रकार वादी व प्रतिवादी के मध्य किये गये विकय सौदे का जो इकरार नामा दिनांक 19.05.2017 को तहरीर किया गया था, उसकी वैधता की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिये प्रतिवादी उक्त इकरारनामा बेचान दिनांक 19.05.2017 के आधार पर किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी नहीं है। वादी व प्रतिवादी के मध्य हुये उक्त बेचान इकरार नामा अवधि बाधित होने से शून्य व अवैध है। प्रतिवादी का विवादित आराजी ख0 सं0 599 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हथोना तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा, राज0 पर दिनांक 19.05. 2018 तक वादी की अनुमति से अनुमेय कब्जा था, जिसकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद विवादित आराजी पर प्रतिवादी का बिना प्राधिकार कब्जा होने से वह अतिचारी की परिभाषा में आता है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने के कारण वह अतिचारी है इस कारण अवैध व अनाधिकृत कब्जे के आधार पर प्रतिवादी अतिकमी है। इस प्रकार वादी खातेदार की इच्छा के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से उसके खाते की आराजी पर कब्जा किये जाने से वह अतिचारी है जिसके विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी के विकय सौदे दिनांक 19.05.2017 से निरंतर समय समय पर वादी के स्वामित्व व कब्जे की आराजी खसरा सं. 599 में स्थित कुंऐ से अपनी खरीदशुदा आराजी 3 बीघा 10 बिस्वा को सिचिंत किया जाता रहा है जिसके बारे में वादी द्वारा निरंतर विद्युत खर्च के लिये प्रतिवादी से तकाजा किया जाता रहा है। लेकिन प्रतिवादी ने कुऐ से सिंचाई हेतु विद्युत उपभोग की राशि वादी को अदा नही की, तथा विद्युत उपभोग की राशि मांगने पर प्रतिवादी वादी के साथ लडाई झगडा पर आमादा हो गया है तथा जबरन वादी के कुंऐ से खरीद शुदा आराजी को सिचिंत करता रहा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी, 04 वर्ष से निरंतर बिना विद्युत उपभोग की राशि अदा किये वादी के कुंऐ से उक्त जमीन को सिचिंत करता रहा है इसलिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उक्त कृत्य हेतु पाबंद किया

जाना न्यायोचित है तदर्थ उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी को कई बार इकरार नामा बेचान की शर्त के मुताबिक बेचान शुदा आराजी का विक्रय पत्र विधिवत उप पंजीयक रामगंजमंडी मे पंजीयन करवाने हेतु कहा गया लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया अंततः उक्त इकरार नामा बेचान की वैधता समाप्त होने के बाद वादी द्वारा प्रतिवादी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.09.2021 को रजिस्टेड लीगल नोटिस प्रेषित करवाया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया जिसमें वादी ने प्रतिवादी को यह हिदायत दी कि बेचान शुदा आराजी के निष्पक्ष निष्पादित इकरार नामा दिनांक 19.05.2017 की वैधता समाप्त हो चुकी है तथा बेचानशुदा आराजी पर प्रतिवादी का जो अनुमेय कब्जा था उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है इसलिये उक्त विवादित आराजी के निष्पद सौदा केसिंल हो जाने से विवादित बेचानशुदा आराजी वादी को संभलादें, लेकिन प्रतिवादी ने विवादित आराजी वादी को नहीं संभलायी एवं क्रय की गई आराजी पर अवैध रूप से कब्जा छोडने से भी इन्कार कर दिया तथा उक्त विवादित आराजी पर अवैधानिक रूप से अवैध कब्जा कर रखा है इसलिये प्रतिवादी की हेसियत विवादित आराजी पर अतिक्रमी की है जिसे दिनांक 09.09.2021 को रजिस्टेड लीगल नोटिस के माध्यम से कब्जा छोड़ने की कहने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ तदर्थ वादी को वादाधिकार प्रोदभूत होते है। प्रतिवादी नं. 2 भूधारक राजस्थान सरकार होने से जरिये तहसीलदार रामगंजमंडी को उक्त वाद मे पक्षकार बनाया है। अन्त में वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित करने का निवेदन किया कि प्रतिवादी को वादी के स्वामित्व खातेदारी की आराजी खसरा सं 599 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम हथोना तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राज0 से विधिवत बेदखल कर कब्जा वादी को प्रदान किया जावे। साथ ही प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादग्रस्त आराजी को सिंचित करने हेतु वादी के खाते में स्थित कुंऐ से विवादित आराजी को सिंचित करने के प्रयास न तो वो स्वयं करे, और न ही उक्त कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करवाये। तथा वादी को प्रतिवादी से विवादित आराजी के बेचान के बाद लगातार 4 वर्ष तक विवादित आराजी जो वादी के कुएं से सिचिंत की गई उसकी विद्युत उपभोग की राशि नियमानुसार वादी को प्रति० से दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.09.2022 द्वारा वाद वादी गुणहीन व सारहीन होना मानकर खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.09.2022 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जारी रजि. एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक का समय हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तामील मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध तथा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी को अपीलान्ट (वादी) द्वारा इकरार नामा बेचान दिनांक 19.05.2017 के आधार पर विक्रय किया गया जिसका विधिवत पंजीयन 01 वर्ष की अवधि मे खरीददार (प्रतिवादी) को करवाना था जो रेस्पो० (प्रतिवादी) द्वारा नहीं करवाया गया इस प्रकार 04 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी केता (प्रतिवादी) द्वारा विधिवत रूप कय की गयी आराजी का बिना विधिवत पंजीयन करवाये ही रेस्पो० उक्त विवादित आराजी जिसका बादी (अपीलान्ट) खातेदार है पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पो० का कब्जा उक्त आराजी पर इकरार नामा की वैध अवधि के बाद ही अवैध है। इकरारनामा मे अंकित 01 वर्ष में पंजीयन की शर्त तक उक्त बेचान शुदा आराजी पर केता (रिस्पो0) का अनुमेय कब्जा (परमीसिव पजेशन) था जो इकरार नामा या बेचान की वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद केता (रेस्पो०) अतिचारी की श्रेणी में आता है जो कानूनी रूप से बेदखली का अधिकारी है लेकिन उक्त तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा इन तथ्यो पर भी विचार नहीं किया गया कि केता (रेस्पो०) द्वारा इकरार नामे में उल्लेखित शर्त जो कुंए से सिचिंत करने का विधिवत समय समय पर खर्चा वादी (अपी0) को दिया जाना था उसकी अदायगी भी केता (रेस्पो०) द्वारा नहीं की गयी तथा केता रेस्पो० का कब्जा अवैध है। तथा इकरार नामा बेचान की अवधि समाप्त होने के बाद उक्त दस्तावेज अवैध व शून्य है जिसके आधार पर रेस्पो० किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रेस्पो० की स्थिति उक्त आराजी पर अतिकमी की है जिसे बेदखल किया जाना न्यायोचित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गोर ना करते हुये निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रतिकूल व न्यायिक दृष्टांतो के खिलाफ होने से काबिल खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी (अपीलान्ट) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सही रूप से विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण मे बहस सुनकर निर्णय हेतु दिनांक 16.09.2022 पेशी दी गयी लेकिन उक्त तारीख पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय से जानकारी लेते रहे लेकिन अधिकारी द्वारा केवल यह कहा गया कि निर्णय दिनांक 16.09.2022 को किया गया लेकिन स्टेनो के उपलब्ध न होने से निर्णय नहीं लिखाया गया। वादी (अपीलांट) द्वारा

दिनांक 19.09.2022 को निर्णय की सत्य प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया लेकिन निर्णय के अभाव में नकल नहीं दी गयी, उसके बाद अधिकारी महोदय का ट्रान्सफर हो गया, इस प्रकार उक्त प्रकरण के निर्णय को नहीं लिखा गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी महोदय के ट्रांसफर होने के बाद 19.12.2022 को अधिकारी महोदय ने उक्त प्रकरण को निर्णित करते हुये निर्णय पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय विधि के प्रतिकूल होने से त्रुटिपूर्ण है। वादी (अपीलांट) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.10.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि निर्णय अन्तर्गत आदेश 20 सिविल प्र0 सं0 के अनुसार नियत समयावधि में पारित न होने से उक्त बाद मे पुनः बहस सुनी जाना आवश्यक है इसलिये प्रकरण में पुनः बहस सुनकर विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु आगामी तारीख पेशी निर्धारित करने की कृपा करे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी द्वारा नियत समयावधि में निर्णय पारित नहीं किया गया तथा अधिकारी के ट्रांसफर होने के बाद निर्णय पारित किया गया जो विधि के प्रतिकूल है। वादी (अपीलांट) को निर्णय की प्रति दिनांक 27.12.2022 को प्रदान की जिससे उक्त अपील अवधि मध्य श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वैध कानून की परिधी में न आने से खारिज योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत आर आर डी 2014 पेज 499, 20211–12 (SUPP) आर आर टी 89, 2011 डीएनजे (SC) पेज 1058, आर आर डी 2023 पेज 79 पेश किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183, 188 का वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में मांगा गया अनुतोष इस प्रकार है, "प्रतिवादी को वादी के स्वामित्व खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 599 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0) से विधिवत बेदखल कर कब्जा वादी को प्रदान किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादग्रस्त आराजी को सिंचित करने हेतु वादी के खाते में स्थित कुएं से विवादित आराजी को सिचित करने के प्रयास न तो स्वयं करे, और न ही उक्त कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करवाये। वादी को प्रतिवादी से विवादित आराजी के बेचान के बाद लगातार 4 वर्ष तक विवादित आराजी को वादी के कुऐं से सिंचित की गई उसकी विद्युत उपभोग की राशि नियमानुसार वादी को प्रतिवादी से दिलवाई जावे। अन्य न्यायोचित सहायता माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को प्रदान की जावे।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.09.2022 में पारित मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है, "वादी व प्रतिवादी के मध्य इकरारनामे के द्वारा भूमि का बेचान किया गया है एवं वादी द्वारा भूमि की सम्पूर्ण इकरार राशि प्रतिवादी से प्राप्त कर ली है।

वादी द्वारा बेदखली का दावा इकरारनामें के अनुसार प्रतिवादी द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करने के कारण दोनों पक्षों के बीच सम्पादित संविदा के प्रतिवादी के द्वारा पालना नहीं किये जाने के आधार पर पेश किया है। वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत बेदखली के दावे से संबंधित नहीं होने के कारण वादी के दावे पर लागू नहीं होती है। अतः वाद पत्र में वांछित अनुतोष वादी को दिया जाना संभव नहीं है। वाद वादी गुणहीन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।" हमारे मत में वादी अपीलांट द्वारा मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 इस प्रकार है, "केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन–(1) तृतीय अनुसूचि के विनिर्दिष्ट प्रकार के वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किये जायेंगे। (2) राजस्व न्यायालय से भिन्न कोइ न्यायालय, ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसे वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है, संज्ञान नहीं करेगा। स्पष्टीकरण– यदि वाद हेतुक ऐसा है जिसके बारे में अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है तो यह बात महत्व के योग्य नहीं है कि सिविल न्यायालय से चाहा गया अनुतोष उस अनुतोष से, जो राजस्व न्यायालय अनुदत्त कर सकता था, बड़ा है या उसके अतिरिक्त है या उसके तदरूप नहीं है।" वादी अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में वादी अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किये जाना संभव नहीं होना अंकित किया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वांछित अनुतोष प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को उभयपक्षकारान के बीच सम्पादित संविदा की पालना प्रतिवादी द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर पेश करना माना जाना प्रतीत होता है जबकि वास्तव में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष बेदखली व अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध मे है, जिसे प्रदान किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट वांछित अनुतोष को समझने में संभवतः भूल की है। वादी अपीलांट वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार है। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में वादी अपीलांट के कथनों का कोई खंडन हस्तगत वाद में प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे समक्ष विवादित भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। बेदखली के वाद में मौके की स्थिति की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट भी तलब नहीं की है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि पर वस्तुतः क्या वास्तविक स्थिति है। प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 90 की खसरा नम्बर 599 रकबा 0.87 हैक्टेयर विवादित भूमि का वादी अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वादी अपीलांट के कथनों व व साक्ष्यों का कोई खण्डन भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मौके की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर सकारण निर्णय पारित किया जाना उचित होगा। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2022 विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 145/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित भूमि की विधिवत रूप से मौका रिपोर्ट प्राप्त करे। हस्तगत प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में विवेचन कर, विधि अनुसार गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें।

9. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा